प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2021**

विषयः- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/221/2021-5/16/2021 दिनांक 12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू. 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायतीराज- 21- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू. 2500.00 लाख (रू. पच्चीस करोड़ मात्र) को निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(3) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद से भी न हो जाय, जिससे स्वीकृत की जा रही धनराशि पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति से बचा जा सके।

(4) प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(7) धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी जब इसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।

(8) धनराशि का आहरण कोषागार से तभी किया जायेगा जब पात्र पंचायतों का चयन सक्षम स्तर से कर लिया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(11) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/ दिशा-निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को होगा।

(12) मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-81/2017/ 33-3-2017-212/2017 दिनांक 20.09.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश निर्गत किए गए हैं। इन शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः- तदैव।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।